न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –02 / 2025 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2025/8

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. दीपक पवित्र भोजनालय नयापुरा, बस स्टेण्ड कोटा संचालक शम्भूदयाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण नयापरा, बस स्टेण्ड, कोटा

––अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 17.03.2025

1 संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 7.10.2024 के अनुसरण में जांच दल प्रवर्तन स्टाफ द्वारा दिनांक 13.12.2024 को घरेलू एल पी जी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहनों में अवैध रिफलिंग से जान माल व राजस्व हानि को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के कम में नयापुरा क्षैत्र में स्थित दीपक भोजनालय, रेस्टोरेन्ट संचालक श्री शम्भूदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण नयापुरा बस स्टेण्ड मौके पर पहुंचे । मौके पर नयापुरा क्षैत्र में स्थित दीपक पवित्र भोजनालय पर श्री शम्भूदयालय पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में घरेलू गैस सिलेण्डरो की जांच का कार्य सम्पादित किया गया । परिसर का अवलोकन करने पर 4 घरेलू लाल रंग के गैस सिलेण्डर पाये गये जिनमें से 02 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्‌टीयों से जुडे हुए थे तथा इन पर दाल चावल बनाये जा रहे थे । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में रेस्टोरेन्ट संचालक श्री शम्भूदयाल से पूछताछ करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही घरेलू गैस सिलेण्डरों से सम्बन्धित कोई दस्तावेज साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किये गये । मौका स्थिति से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अवैध रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जा रहा है, इनके पास किसी भी प्रकार का गैस के कार्य किये जाने हेतु वैध लाईसेन्स अथवा दस्तावेज नहीं होना पाया गया। मौके पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया गया । जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर पर एलपीजी काउपदर्शित मानक भार /क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्रा में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्रा में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	359146	BPCL	14.2	15.5	15.6	0.100	घरेलू
2	168052	HPCL	14.2	15.5	17.7	2.200	घरेलू
3	164184	IOCL	14.2	17.5	17.6	0.100	घरेलू
4	953687	HPCL	14.2	16.0	18.5	2.5	घरेलू

इस प्रकार रेस्टोरेन्ट संचालक श्री शम्भूदयाल के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस ऑर्डर 2000 के खण्ड–3 (1)(ए)(बी)व (सी) का प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है । अतः 04 घरेलू गैस सिलेण्डारों को जब्त कर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर सुलभ भारत गैस एजेंसी, आकाशवाणी कोटा के डिलिवरीमेन

जिला कलक्टर
कोटा

श्री सुनील सुमन पुत्र श्री राधेश्याम को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरित निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2 प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता का वकालतनामा पेश हुआ, वकील अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया । पेरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी ।

3 पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर दुरूपयोग किया जाने से अधिग्रहित 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें ।

4 वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं बहस में कथन किया है कि प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र नरेन्द्र राठौर के नाम पर गैस कनेक्शन है जो एक ही मकान में अलग अलग परिवार के रूप में पृथक पृथक रसोई का उपयोग करते हुए निवास करते है । प्रार्थी के नाम पर भारत गैस बीपीसीएल कम्पनी का गैस कनेक्शन है तथा प्रार्थी के पुत्र नरेन्द्र राठौर ने एचपीसीएल कम्पनी का घरेलू गैस कनेक्शन लिया हुआ है । प्रत्येक कनेक्शन दो सिलेण्डर जारी हो रहे है जिस समय अभियान के व्यक्ति प्रार्थी के घर आये तो उक्त चारों सिलेण्डर जो कि खाली थे रिफलिंग के लिए नीचे रखे हुए थे किन्तु अभियान में सम्मिलित व्यक्तियों ने अवैध एवं गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी के सिलेण्डरों को जप्त किया है जबकि चारों सिलेण्डर खाली थे एवं एक भी सिलेण्डर आईओसीएल कम्पनी का था ही नहीं । प्रार्थी मात्र साक्षर व्यक्ति है उसकी अज्ञानता का लाभ उठा कर फर्द अधिग्रहण में एक सिलेण्डर आईओसीएल कम्पनी का बता दिया है जो कि मौके पर इस प्रकार की कम्पनी का सिलेण्डर था ही नहीं फर्द अधिग्रहण में दो सिलेण्डरों में गैस बताई है जिसमें एक में 2.200 किलोग्राम एवं दूसरे में 2.5 किलोग्राम जबकि चारों सिलेण्डर ही खाली थे किसी में कोई गैस नहीं थी और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा था ना ही प्रार्थी सिलेण्डरों पर भट्टी जोड कर कार्य कर रहा था । प्रार्थी प्रकरण में वर्णित दीपक पवित्र भोजनालय का संचालक भी नहीं है । प्रार्थी के विरूद्व प्रकरण असत्य, मनगढंत तथ्यों के आधार पर अवैध तरीके से अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बनाया गया है .। प्रार्थी अपने जब्तशुदा बीपीसीएल कम्पनी एवं एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डरों को अपनी सुपुर्दगी में वापस प्राप्त करने का अधिकारी है एवं प्रार्थी के विरूद्व प्रकरण असत्य एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर दर्ज किया है जिसकी कार्यवाही ड्रोप फरमायी जाकर प्रार्थी को उक्त जप्तशुदा सिलेण्डर सुपुर्दगी में दिए जाने के आदेश प्रदान करें ।

2. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । रसद विभाग की टीम द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग की जांच में नयापुरा क्षैत्र में स्थित दीपक पवित्र भोजनालय पर श्री शम्भूदयालय पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण की उपस्थिति में घरेलू गैस सिलेण्डरो की जांच की गई । परिसर में 4 घरेलू लाल रंग के गैस सिलेण्डर पाये गये जिनमें से 02 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टीयों से जुडे हुए थे तथा इन पर दाल चावल बनाये जा रहे थे । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में रेस्टोरेन्ट संचालक श्री शम्भूदयालसे घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही घरेलू गैस सिलेण्डरों से सम्बन्धित कोई दस्तावेज साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किये गये । जिस पर मौके पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया गया । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस ऑर्डर 2000 के खण्ड–3 (1) (ए) (बी) व (सी) का प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है । वकील अप्रार्थी द्वारा चारों सिलेण्डर उनके घर के होना बताते हुए चारों सिलेण्डर खाली होना बताया है तथा रिफलिंग के लिए नीचे रखे होने से टीम द्वारा जब्त किया जाना बताया है जिन्हें वापस सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया है । किन्तु अप्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस कारण अपने जवाब बहस में स्पष्ट नहीं है जिस आधार पर जप्तशुदा गैस सिलेण्डर वापस उनकी सुपुर्दगी में दिया जा सकें । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्वीफाई पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 04 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर को राजसात (Confiscat) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जाकर आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर का निस्तारण कराया जाकर पालना से अवगत करावें ।
4. निर्णय आज दिनांक 17.3.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा